तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20 6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप.। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषकगणों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अतः वाद वादी का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वाद पत्र से अंतिम डिक्री जारी की जाती है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली के रूल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] सहायक कलेक्टर बापिणी	

न्यायालय सहायक कलक्टर बापिणी, जिला–फलोदी

क्रमांक कोर्ट / 2025 / 368 दिनांकः– 27/8/25

प्रेषितः– तहसीलदार, बापिणी।

विषयः– माफिक निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 9/25 अनवान रा.पु.लि. [illegible] ढाणी बनाम कुमसिंह वगैरा धारा 53,188 निर्णय दिनांक 20/6/25 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा रही है अतः आप यदि किसी उच्चतर न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो नियमानुसार माफिक निर्णय पालना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– निर्णय प्रति।

रीडर.

सहायक कलेक्टर एवम् [illegible]

सहायक कलक्टर बापिणी
जिला–फलोदी

नकतसिंह पुत्र श्री भवंरसिंह.

प्रस्तुतकर्ता
शेर सिंह भाटी Adv.
1610 hrs.

सेवामे,

श्री मान सहायक कलेक्टर एवम्, उपखण्ड अधिकारी ओसियां। बापिणी

वाद संख्या :–
तारीख प्रस्तुती :– 05.03.2025

वादी :–

1 राजकीय प्राथमिक विद्यालय लुम्बो की ढाणी सियालिया नाडा बापीणी जरिये प्राधानाचार्य आमसिंह पुत्र श्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी बापीणी

—: ब ना म :—

प्रतिवादीगण :–

1 कुमसिंह पुत्र श्री विशनसिंह
2 गुलाबसिह पुत्र श्री मंगलसिंह
3 चुतरसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
4 जसवन्तसिंह पुत्र श्री काछबसिंह
5 जसवन्तसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
6 दरियाव कवंर पत्नि श्री काछबसिंह
7 नकतसिंह पुत्र श्री भवंरसिंह
8 नरपतसिंह पुत्र श्री शेरसिंह
9 नाथुसिंह पुत्र श्री काछबसिंह
10 प्रेमसिंह पुत्र श्री शेरसिंह
11 भवंरसिंह पुत्र श्री शेरसिंह
12 भीककौर पत्नि श्री विशनसिंह
13 माधुसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह
14 विजयसिंह पुत्र श्री शेरसिंह
15 बीरा कवंर पत्नि श्री भवंरसिंह

16 सन्तु कवंर पत्नि श्री सांगसिंह

17 सुमेरसिंह पुत्र श्री विशनसिंह

18 सवाईसिंह पुत्र श्री काछबसिंह

19 सांगसिंह पुत्र श्री विशनसिंह

जाति राजपूत निवासी बापीणी

तहसील बापीणी जिला फलोदी ।

20 आई.सी.आई.सी. आई बैक लि.शाखा बापीणी ।

21 इंडसंइड बैक लि. शाखा ओसिंया ।

22 श्री मान तहसीलदार बापीणी ।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट.

महोदय जी,

वादी की ओर से निवेदन है कि –

1 यह है कि तहसील बापीणी के राजस्व ग्राम बापिणी के खसरा नम्बर 971 (नौ सौ इकोतर) रकबा 18.4051 (अठ्टरह दशमलव चार शुन्य पांच एक) हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 (एक) से 19 (उन्नीस) के संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जा कास्त सुदा भूमि आई हुई है । चालु जमाबन्दी की नकल साथ मे पेश है।

2 यह है कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि मे ग्राम बापिणी के खसरा नम्बर 971 (नौ सौ इकोतर) रकबा 18.4051 (अठ्टरह दशमलव चार शुन्य पांच एक) हैक्टेयर भूमि मे वादी का 10 / 1137 (दस बट्टा इग्यारह सौ सेतीस) हिस्सा है । वादग्रस्त भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से अनुसार अन्दाजीया तौर पर विभाजन कर मौके पर काबिज है तथा अपने अपने बन्ट व हक हिस्से की कास्त करते है ।

3 यह है कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के सीमा पर कटाण रास्ता आया हुआ है । उक्त भूमि मे प्रतिवादीगण का अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर वर्षो पूर्व किये गये मौखिक विभाजन के अनुसार काबिज है एवम् वादी का अपने हक हिस्से पर ही कब्जा कास्त चला आ रहा है एवम् मौके पर वादी का टीनसेड व ढालिया बना हुआ है तथा उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे कास्त व हक हिस्से अनुसार कुमान रास्ता रखते हुए वादग्रस्त भूमि का वादी विभाजन करवाने का अधिकारी है।

4 यह है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है । अभी हाल ही मे दिनांक 20.02.2025 (बीस फरवरी सन् दो हजार पचीस) को प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड मे बिना विभाजन करवाए अच्छी, कीमती उपजाउ भूमि से वादी को बेदखल करके कब्जा करने व वादी का रास्ता बन्द करने की धमकी दी परन्तु प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है इसलिए वादी वादग्रस्त भूमि का मौके पर कब्जा कास्त के अनुसार विभाजन करवाने एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा हेतू यह वाद पेश कर रहा है।

5 यह है कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका प्रत्येक इन्च इन्च पर प्रत्येक खातेदार का हक हिस्सा है । वादग्रस्त संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि के विशेष भू भाग पर विना विभाजन करवाये किसी भी खातेदार को बेदखल कर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है इसलिए वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा हेतू यह वाद पेश कर रहा है ।

6 यह है कि वादग्रस्त भूमि मे वादी का अपने हक हिस्से अनुसार शांन्ती पूर्वक कब्जा काश्त होने एवं वादी का अपने हक हिस्से की भूमि मे विधालय संचालन हेतू टीनसेड एवम् ढालिया बना होने एवम् मौके पर [illegible] होने तथा उक्त भूमि के राजस्व

रेकर्ड मे वादी के नाम संयुक्त खातेदारी की दर्ज होने से प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला वादी के पक्ष मे वनता है ।

7 यह है कि वादग्रस्त भूमि वादी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है जिसमे प्रतिवादीगण अच्छी, कीमती, उपजाउ भूमि से वादी को वेदखल कर कब्जा करने पर यदि प्रतिवादीगण ने वादी को वादग्रस्त भूमि से वदेखल कर दिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति रूपयो पैसो मे नही की जा सकेगी । सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष मे वनता है ।

8 यह है कि विनाय दावा दिंनाक 20.02.2025 (बीस फरवरी सन् दो हजार पचीस)को प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि मे बिना विभाजन करवाए अपने हक हिस्से अधिक भूमि कब्जा करने की धमकी देने पर बिनाय दावा उत्पन्न हुआ जो आज भी निरन्तर विद्यमान है तथा दावा अन्दर मयाद पेश है।

9 यह है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बापिणी मे स्थित होने तथा दावा खातेदारी भूमि के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का होने से अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है।

10 यह है कि नियमानुसार न्यायालय शुल्क के स्टाम्प रूपये 2/– (दो) के अलावा तलबाना के पेश है।

11 यह है कि इस्तदुआ वादी निम्न प्रकार है –

1 कि ग्राम बापिणी के खसरा नम्बर 971 (नौ सौ इकोतर) रकबा 18.4051 (अठ्टरह दशमलव चार शुन्य पांच एक) हैक्टेयर मे वादी का 10/11370 (दस बट्टा इग्याहर सौ सेतीस) हिस्सा की भूमि का मौके पर भोतिक विभाजन एवम् कब्जे कास्त के अनुसार विभाजन किये जाने की डिकी बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

आम सिंह
प्रधानाध्यापक
रा.प्रा.वि.हूंसो की ढाणी, सिपाहियां नाडा
बापिणी (जोधपुर)

2 कि स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बर खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि वादग्रस्त भूमि मे वादी के हक हिस्से की विभाजित भूमि मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, वादी को बेदखल नही करे और न ही किसी अन्य से करावे।

3 कि खर्चा दावा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे ।

4 कि अन्य दादरसी जो मुफीद वादी हो अता फरमाई जावे।

तस्दीक :-

मै राजकीय प्राथमिक विद्यालय लुम्बो की ढाणी सियालिया नाडा बापीणी जरिये प्राधानाचार्य आमसिंह पुत्र श्री रूपसिंह जाति राजपूत निवासी बापीणी तहसील बापिणी जिला फलोदी वाला शपथ पूर्वक तस्दीक करता हू कि उपरोक्त वर्णित वाद पत्र मे तमाम तथ्य मेरी निजी जानकारी व ज्ञान से सही है इसमे कुछ भी गलत अंकित नही किया गया है । सत्य बोलने मे ईश्वर मेरी मदद करे ।

आमसिंह
तस्दीक कर्ता

प्रधानाध्यापक
रा.प्रा.वि.लूंबो की ढाणी, सियालियां नाडा
बापिणी (जोधपुर)

दिंनाक :- 05.03.2025